FORM NO – 111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

फैसला 108 14.10.2020

प्रार्थी/परिवादी — **बनाम** — **प्रतिवादी/अभियुक्त**

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधि. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधि. सिरोही

कांतिलाल माली पुत्र श्री राजा राम माली जाति–माली, निवासी-पाडीव, तह. सिरोही (खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक) फर्म:-अर्बुदा ट्रेडर्स, बस स्टेण्ड रोड, सिरोही

किस्म मुकदमा - धारा 26(2)(ii) एवं 52
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 — प्रकरण संख्या 38/2020

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
14.10.2020	श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii) एवं 52 के तहत प्रतिवादी अभियुक्त कांतिलाल माली के विरुद्ध आज दिनांक 14.10.2020 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 5.4.2012 के द्वारा जिलें में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है। अतः प्रस्तुत न्याय निर्णय आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रकरण में प्रतिवादी कांतिलाल माली पुत्र श्री राजा राम माली, जाति– माली, निवासी–पाडीव, तहसील व जिला–सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, अर्बुदा ट्रेडर्स, बस स्टेण्ड रोड, सिरोही इस न्यायालय में आज दिनांक 14.10.2020 को स्वयं उपस्थित हुआ। प्रतिवादी कांतिलाल माली को नोटिस पढ़कर सुनाया गया एवं न्याय निर्णय आवेदन पत्र की एक प्रति दिलवाई गई। प्रकरण में प्रतिवादी कांतिलाल ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आज दिनांक 14.10.2020 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सिरोही श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा प्रस्तुत वाद में लगाये हुए आरोप मुझे बताये गये, इस संबंध में मेरा निवेदन है कि दिनांक 16.10.2019 को जिस स्वीट सुपारी (मैरी ब्राण्ड) का नमूना जांच हेतु श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सिरोही द्वारा लिया गया था, जो जांच रिपोर्ट के अनुसार मिसब्रांडेड पाया गया है। वह मेरी फर्म से लिया गया था। नमूना पैक अवस्था में ही लिया गया था। मैने मेरी ओर से इसमें कोई छेडछाड नही की थी और न ही कुछ मिलाया था। मैनें नई–नई दुकान खोली लगातार	कांतिलाल 14/10/20

14/10/2020

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.30 12:52:16 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.38/2020	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	थी, अनुभवहीनता के कारण मैं इससे संबंधित बिल नही ले पाया था इसलिय प्रस्तुत नही कर पाया इसके लिये क्षमा प्रार्थी हूँ। भविष्य में इसका ध्यान रखूंगा। मैं मेरी गलती/जुर्म स्वीकार करता हूँ कृपया मुझे इस वाद से मुक्त करावे। प्रकरण में प्रतिवादी कांतिलाल माली द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत कर उक्तानुसार गलती/जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी कांतिलाल की आज ही बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी ने मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ स्वीट सुपारी (मेरी ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित किया जावे। जबकि प्रतिवादी कांतिलाल ने उक्त जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कम जुर्माना किये जाने का अनुरोध किया। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.10.2019 को समय 4.00 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म अर्बुदा ट्रेडर्स, बस स्टेण्ड रोड, सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबाकरर्ता एवं मालिक की हैसियत से प्रतिवादी कांतिलाल माली पुत्र श्री राजा राम माली, जाति– माली, निवासी– पाडीव, तहसील व जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को स्वीट सुपारी (मेरी ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त फर्म अर्बुदा ट्रेडर्स, बस स्टेण्ड रोड, सिरोही के निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ स्वीट सुपारी (मेरी ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए दुकान के अन्दर आलमारी की रैक में बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ स्वीट सुपारी (मेरी ब्राण्ड) के 40x1x(60 Pouchx1.6gm) पैक्ड पाउचेज में से खाद्य पदार्थ स्वीट सुपारी (मेरी ब्राण्ड) के 20x1x(60 Pouchx1.6gm) पैक्ड पाउचेज को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए उक्त खाद्य पदार्थ स्वीट सुपारी (मेरी ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1053 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, ...लगातार	

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.30 12:52:16 IST
Reason: SelfAttested

14/10/2020 सिरोही-307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.38/2020	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./840/Act/2019/868 दिनांक 30.10.2019 के अनुसार मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी कांतिलाल ने उक्त खाद्य पदार्थ स्वीट सुपारी (मेरी ब्राण्ड) के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी कांतिलाल माली की फर्म अर्बुदा ट्रेडर्स, बस स्टेण्ड रोड, सिरोही, जिला– सिरोही द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ स्वीट सुपारी (मेरी ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत कांतिलाल माली पुत्र श्री राजा राम माली, जाति– माली, निवासी– पाडीव, तहसील व जिला– सिरोही, मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता, अर्बुदा ट्रेडर्स, बस स्टेण्ड रोड़द्व सिरोही, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 7,000/– (अक्षरे रुपये सात हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी कांतिलाल माली पुत्र श्री राजा राम माली, जाति– माली, निवासी– पाडीव, तहसील व जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 10 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 29.10.2020 को पेश हो। 14/10/2020 (गितेश श्री मालवीया) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिरोही	

सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.30 12:52:16 IST
Reason: SelfAttested